न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, लखीमपुर–खीरी

परिवाद सं0–1877/2024

हरीश बनाम मुकेशचन्द्र हलधर

CNR No UPLP10002958-2024

<u>29.05.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उपस्थित कोई नहीं है। न ही परिवादी की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं, न ही कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली धारा–223 बी0एन0एस0एस0 के बयान हेतु नियत है। किन्तु परिवादी की तरफ से अपना साक्ष्य अं0धारा–223 बी0एन0एस0एस0 अंकित नहीं कराया गया है। तत्पश्चात् परिवादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चला आ रहा है, न ही उसके द्वारा वाद की पैरवी की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी को परिवाद कार्यवाही को आगे संचालित किये जाने में कोई रुचि नहीं रह गयी है। पत्रावली पर इस स्तर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं है, जिससे अभियुक्तगण को किसी भी अपराध में तलब किये जाने का आधार बन सके। अतः परिवाद अंतर्गत धारा–226 बी0एन0एस0एस0 एवं बल अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्रद्धा भारतीय)
यू0पी01964
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
मोहम्मदी, खीरी।
29.05.2026